दिनांक 29.05.2024
प्रेस विज्ञप्ति 29/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 12 लाख रूपये कीमत के चोरी के मोबाइल टावर की 02 रेडियो रिसीवर यूनिट बरामद**

दिनांक 29.05.2024 को क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना नन्दग्राम क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त जुबैर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 12 लाख रूपये कीमत के चोरी के मोबाइल टावर की 02 रेडियो रिसीवर यूनिट बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद, दिल्ली व राजस्थान प्रान्त के विभिन्न थानो में 18 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जुबैर निवासी ग्राम आलमगिरपुर उखलिना थाना रोहटा जनपद मेरठ, हालपता गिरी मार्केट कस्बा व थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1—लगभग 12 लाख रूपये कीमत के चोरी के मोबाइल टावर की 02 रेडियो रिसीवर यूनिट।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना इन्दिरापुरम

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 29.05.2024 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खोडा अण्डरपास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सौरभ कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में लूट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सौरभ कुमार निवासी मयूर विहार त्रिलोकपुरी दिल्ली, स्थाईपता दामोदर विहार खोडा कॉलोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

जनपद मथुरा/थाना राया

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **07 अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **11 कारतूस विभिन्न बोर**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 29.05.2024 को थाना राया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिचपुरी से अलीगढ़ रोड पर ग्राम अयेरा के पास से अभियुक्त सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 07 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 11 कारतूस विभिन्न बोर, 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना राया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सुनील कुमार निवासी मिर्जापुर थाना इगलास जनपद अलीगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1–07 अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2–11 कारतूस विभिन्न बोर।

3–01 मोटर साइकिल।

<u>जनपद सहारनपुर/थाना कुतुबशेर</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 दो पहिया वाहन, 01 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद**

दिनांक 29.05.2024 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मानकमऊ बस स्टैण्ड के पास से 02 अभियुक्तों 1–शैंकी 2–जितेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 दो पहिया वाहन, 01 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–शैंकी निवासी ग्राम बनीखेडा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

2–जितेन्द्र निवासी ग्राम बनीखेडा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

- **<u>जनपद बांदा/थाना बबेरू (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना बबेरू पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अरूण 2–संजय 3–अजय 4–विजय को आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना रामकोट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 51 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना रामकोट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(2झ)/323 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त ओमपाल उर्फ खटाई को आजीवन कारावास व 51 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बिजनौर/थाना किरतपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बिजनौर द्वारा थाना किरतपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त आकिब को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना रोजा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना रोजा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 5जे(2)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मंजेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलरामपुर/थाना महराजगंज तराई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 32 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलरामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलरामपुर द्वारा थाना महराजगंज तराई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366ए/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सलीम को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 32 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना रामपुरकलां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना रामपुरकलां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(2झ)/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सरवन उर्फ सोनू को 10 वर्ष के कारावास व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एसटीएफः थाना कोतवाली, जनपद गाजियाबाद पर पंजीकृत गैगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अपराधी शब्बीर मुम्बई (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार।</u>

दिनाकः 26–05–2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को थाना कोतवाली, जनपद गाजियाबाद पर पंजीकृत गैगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त शब्बीर को मुम्बई महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः</u>

1– शब्बीर पुत्र हसमुदीन निवासी देहलवाडी, थाना पहाड़कट्टा, जनपद किशनगंज, बिहार ।

<u>बरामदगी–</u>

1– 01 अदद आधार कार्ड (अभियुक्त का)

2– 620 रूपये नकद ।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः–</u>

दिनांक 26–05–2024 समयः लगभग 20.15 बजे, थाना शाहु नगर माहिम ईस्ट मुम्बई, महाराष्ट्र से।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों के कुख्यात/सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गौतमबुद्धनगर के निर्देशन एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक

के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री सचिन कुमार के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

निरीक्षक श्री सचिन कुमार, एस0टी0एफ0 नोएडा टीम को अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना कोतवाली जनपद गाजियाबाद के मु0अ0सं0 287/20 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित अभियुक्त शब्बीर, मुम्बई में रहता है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एस0टी0एफ0 की टीम मुम्बई, महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई और तत्परता से कार्यवाही करते हुए दिनांक 26–05–2024 को अभियुक्त शब्बीर को समय करीब 20.15 बजे उपरोक्त स्थल से गिरफ्तार कर थाना कांदिबली मुम्बई में दाखिल करके दिनांक 27–05–2024 को माननीय न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट **Esplanade** मुम्बई के समक्ष पेश कर 03 दिवस का ट्राजिंस्ट रिमाण्ड प्राप्त किया गया, तदोपरान्त अभियुक्त को उक्त अभियोग में दाखिल करने हेतु लाया गया। इसके पश्चात अभियुक्त शब्बीर को दिनांक 29–05–2024 को समय 01.24 बजे थाना कोतवाली नगर, जनपद गाजियाबाद के मु0अ0सं0 287/20 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट के अभियोग में दाखिल किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त शब्बीर ने पूछताछ पर बताया कि वह वर्ष–2002 में बिहार से दिल्ली आया था और उसने दिल्ली में रहकर जरी बनाने का काम सीखा था और उसी दौरान इसकी मुलाकात उमर पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी आरा रसिया पश्चिम टोला थाना इस्लामपुर उत्तर दिनाजपुर पश्चिमी बंगाल एवं अफरोज आलम पुत्र मोहम्मद जलील निवासी हिंगना औराही पोखर टीला, बिहार तथा मेहर के साथ हो गयी थी, जो अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे। अभियुक्त शब्बीर ने उमर, अफरोज एवं मेहर के साथ मिलकर वर्ष– 2019–20 में जनपद गाजियाबाद में कई घरो में नकबजनी की घटनाएं किया और उसको थाना इन्दिरापुरम, जनपद गाजियाबाद की पुलिस द्वारा वर्ष–2020 में पकड़कर जेल भेज दिया गया था। कोविड महामारी के चलते अभियुक्त शब्बीर को माननीय न्यायालय द्वारा माह–मार्च 2020 में 02 माह के पैरोल पर छोड़ा गया था, परन्तु यह पैरोल जम्प करके फरार चल रहा था।

अभियुक्त शब्बीर, उपरोक्त के विरूद्ध निम्न अभियोग का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ हैः–

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	672/19	454/380/411 भादवि	कोतवाली नगर	गाजियाबाद
2	720/19	454/380/411 भादवि	कोतवाली नगर	गाजियाबाद

3	722/19	454/380/411 भादवि	कोतवाली नगर	गाजियाबाद
4	776/19	380/411 भादवि	विजय नगर	गाजियाबाद
5	908/19	380/411 भादवि	विजय नगर	गाजियाबाद
6	287/20	2/3 गैगस्टर एक्ट	कोतवाली नगर	गाजियाबाद
7	24/23	174ए भादवि	विजय नगर	गाजियाबाद

गिरफ्तार अभियुक्त शब्बीर को थाना कोतवाली, जनपद गाजियाबाद के मु0अ0सं0 287/20 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट के अभियोग में दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एस0टी0एफ0–थाना हाफिजगंज, जनपद बरेली में पंजीकृत मु0अ0सं0 499/2023 में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी समीर मुम्बई से गिरफ्तार।

दिनांक 26–05–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना हाफिजगंज, जनपद बरेली में पंजीकृत मु0अ0सं0 499/2023 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी समीर को शिमला पार्क थाना मुंब्रा जनपद ठाणे, महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– समीर पुत्र तुफैल, निवासी कस्बा सेथल, थाना हाफिजगंज, जनपद बरेली।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

राशिद अपार्टमेंट शिमला पार्क थाना मुंब्रा, जनपद ठाणे, महाराष्ट्र। दिनांक 26–05–2024, समय 20:30 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री अमित नागर, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में निरीक्षक दिलीप तिवारी, उ0नि0 विनोद सिंह, हे0का0 अशोक कुमार गुप्ता, हे0का0 राजेश मौर्या, हे0का0 कौशलेन्द्र प्रताप सिंह की एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि मु0अ0सं0 499/2023 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी समीर मुम्बई में रहता है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एस0टी0एफ0 की टीम मुम्बई, महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई और तत्परता से कार्यवाही करते हुए दिनांक 26–05–2024 को एसटीएफ टीम द्वारा निरीक्षक श्री दिलीप पाटिल, उ0नि0 प्रकाश, ठाणे, महाराष्ट्र क्राइम ब्रान्च के टीम को साथ लेकर अभियुक्त समीर को समय करीब 20.30 बजे राशिद अपार्टमेंट शिमला पार्क थाना मुब्रा जनपद ठाणे, महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को थाना मुम्ब्रा, जनपद ठाणे मुम्बई में दाखिल करके दिनांक 27–05–2024 को माननीय न्यायालय आईसी–2 ठाणे मुम्बई के समक्ष पेश कर 05 दिवस का ट्राजिंस्ट रिमाण्ड प्राप्त किया गया, तदोपरान्त अभियुक्त को उक्त अभियोग में दाखिल करने हेतु लाया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त समीर ने पूछताछ पर बताया कि उसका एक गिरोह है, जो पिछले 08 वर्षो से गोवंशी पशुओ की तस्करी करता है। यह गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर घूमन्तु गोवंशी पशुओं एवं लोगों के पशुओ की चोरी करके रात्रि में इकठ्ठा करता था और किसी सुनसान स्थान पर लेकर उनके मांस का 02–02 किलोग्राम का पैकेट तैयार करके सप्लाई करता था। दिनांक 25–10–2023 की रात्रि में थाना क्षेत्र हाफिजगंज में जाजपुर जाने वाले मार्ग पर एक सुनसान स्थान पर गोवंशी पशुओं के मांस तैयार करके उसकी पैकिंग कर रहे थे तभी स्थानीय पुलिस द्वारा दबिश दी गयी थी, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाते हुए यह तथा इसके साथी सलीम निवासी जनपद रामपुर, कुंजी निवासी जनपद रोहतक हरियाणा, आजम निवासी जनपद बरेली, राशिद पुत्र जावेद निवासी कुरैशी नगर बरेली मौके से फरार हो गये थे। जिस सम्बन्ध में थाना हाफिजगंज, बरेली में मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में इसके अतिरिक्त सभी अभियुक्तों को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके गिरफ्तारी हेतु रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तारी के बचने के लिए यह मुम्बई भाग गया था और वहॉ पर अपने भाई एवं रिश्तेदारों के पास जाकर उनके मीट के कारोबार में सहयोग करने लगा।

<u>**अभियुक्त समीर का ज्ञात आपराधिक इतिहास निम्नवत है-**</u>

1– मु0अ0सं0 35/2022 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना हाफिजगंज, बरेली।

2– मु0अ0सं0 501/2021 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना हाफिजगंज, बरेली।

3– मु0अ0सं0 179/2021 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना हाफिजगंज, बरेली।

4– मु0अ0सं0 07/2019 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना हाफिजगंज, बरेली।

5– मु0अ0सं0 282/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हाफिजगंज, बरेली।

6– मु0अ0सं0 126/2020 धारा 51 आपदा अधि0 3/5/8 सीएस एक्ट व 31 (बी) क्रिमिनल लॉ अमेनमेट एक्ट थाना हाफिजगंज, बरेली।

7– मु0अ0सं0 162/2020 धारा 307 भादवि थाना हाफिजगंज, बरेली।

8– मु0अ0सं0 499/2023 व 3/5क/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना हाफिजगंज, बरेली।

9– मु0अ0सं0 418/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बारादरी, बरेली।

अभियुक्त समीर को दिनांक 28–05–2024 को समय 08.17 बजे सायं मु0अ0सं0 499/2023 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 11 पशु कू्रता अधिनियम में दाखिल किया गया। जिसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

–––––